रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
भारत सरकार

सं. 449] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 1987/भाद्रपद 12, 1909
No. 449] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 1987/BHADRA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 753(अ) :—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू मैंगलौर न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यू मैंगलौर पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) संशोधन अधिनियम, 1987 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं. पीआर-12010/10/86-पी ई-I]
पी.एम. अब्राहम, अपर सचिव

अनुसूची

एन.एम.पी.टी. कर्मचारी (एच.टी.सी.) संशोधन अधिनियम 1987

प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) के खण्ड 28 द्वारा निहित शक्तियों के उपयोग के अन्तर्गत, न्यू मैंगलौर पोर्ट ट्रस्ट एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों का निर्माण करता है :—

(1) इन अधिनियमों को न्यू मैंगलौर पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) संशोधन अधिनियम, 1987 कहा जा सकता है।

(2) न्यू मैंगलौर पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) अधिनियम, 1980 में :—

(क) अधिनियम 2(1) की धारा (एच) को हटा दिया जाएगा तथा धारा (आई), (के) तथा (एल) को पुनः क्रमशः (एच), (आई), (जे) तथा (के) संख्यांकित किया जाएगा।

(च) धारा (जे) [जिसको (आई) के रूप में पुन संख्यांकित किया गया)] के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"उन कर्मचारियों के मामले में, जोकि इन अधिनियमों के शुरू होने के पहले अवकाश यात्रा का लाभ, दो तथा चार वर्षों के ब्लाक वर्षों के मामले में, जैसा भी उन पर लागू हो, उपअधिनियमों (एच) तथा (आई) के अंतर्गत अवकाश यात्रा रियायत को नियमित करने के उद्देश्य से जारी रहेंगे।"

(2) अधिनियम 7(1) धारा (i) तथा (iv) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(i) 1980 से आरंभ होने वाले दो पंचांग वर्षों के एक ब्लाक में एक बार प्रत्येक कर्मचारी व उसका परिवार रियायत को पाने का अधिकारी होगा तथा बोर्ड वास्तविक किराया वहन करेगा। ऐसे हर मामले में यात्रा, गृह नगर आने व जाने की होगी तथा आना, जाने व वापसी यात्रा दोनों के लिए होगा। कर्मचारी के स्वयं या उसके परिवार के मामले में यह जरूरी नहीं है कि यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय से ही आरंभ हो तथा वहीं समाप्त हो। लेकिन स्वीकार्य सहायता यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिए स्वीकार्य होगी, यह उस राशि तक सीमित होगी जो कि स्वीकार्य होगी यदि मुख्यालय तथा कर्मचारी के गृह नगर के मध्य यात्राएं की गई होती।"

(iv) वर्ष 1980 से आरंभ होने वाले चार पंचांग वर्षों के एक ब्लाक में, एकबार प्रत्येक कर्मचारी व उसके परिवार को कर्मचारी योजना के अन्तर्गत में गई अन्य शर्तों के अधीन, भारत में किसी स्थान तक यात्राओं के लिए रियायत का लाभ उठाने का अधिकार होगा तथा आने व जाने की पूरी दूरी के लिए किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। चार वर्षों का ब्लाक 1980 से आरंभ होगा। भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने की रियायत यदि चार वर्षों की अवधि में इसका लाभ न उठाया गया हो तो इस रियायत को अगले चार वर्षों के ब्लाक के पहले वर्ष में आगे बढ़ा दिया जाएगा।"

(3) अधिनियम 8 में, उपअधिनियम (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"स्पष्टीकरण :—भारत में किसी स्थान का भ्रमण करने के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय, कर्मचारी तथा/अथवा उसके परिवार के सदस्य अपनी पसंद के कुछ स्थान अथवा विभिन्न स्थानों के भ्रमण कर सकते है।"

(4) अधिनियम 10 में (1) उपअधिनियम को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(1) किराया, रेलवे किराया सारिणी में दिखाया गया किराया होगा।"

(ii) उपअधिनियम 3(ए) में धारा (2)(ए) तथा नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(ii)(ए) यदि यात्रा अथवा उसका कोई हिस्सा सड़क द्वारा किया जाएगा, तो बोर्ड की सहायता अधिकृत श्रेणी के रेल के किराए के आधार पर होगी अथवा वास्तविक किराए के आधार पर होगी, इनमें से जो भी कम हो।",

(बी) धारा (बी) हटा दी जाएगी।

(iii) उपअधिनियम (5) तथा उसके नीचे दी गई टिप्पणी निम्न से प्रतिस्थापित होगी :—

"(5) अवकाश यात्रा रियायत के संबंध में, अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले रियायती सर्कुलर ट्रिप के टिकटों का किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार द्वारा लाभ उठाने पर कोई एतराज नहीं होगा इस प्रकार के रियायती टिकट का उपयोग करते समय, अधिकृत श्रेणी ऊपर या नीचे किसी भी श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति होगी।"

टिप्पणी : —ऐसे मामलों में भी कर्मचारी, छोटे-से-छोटे रास्ते द्वारा वास्तव में उपयोग की गई अधिकृत निम्न श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति का अधिकारी होगा।

(iv) उपअधिनियम (6) में धारा (ii) निम्न से प्रतिस्थापित होगी।

"जब कोई कर्मचारी भारत में किसी स्थान का भ्रमण करने हेतु अवकाश यात्रा रियायत के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के पर्यटन विकास निगमों राज्य परिवहन निगमों तथा अन्य सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जाने वाली चार्टर्ड बस, वान या अन्य वाहनों में कोई सीट अथवा सीटें लेता है तो प्रतिपूर्ति या तो चार्टर्ड बस के वास्तविक उच्च किराए की होगी अथवा वह प्रतिपूर्ति योग्य राशि होगी यदि भ्रमण के लिए घोषित किए गए स्थान की यात्रा छोटे से छोटे रास्ते में अधिकृत श्रेणी में रेल द्वारा की गई हो इनमें से जो भी कम होगी।"

(v) उपअधिनियम (7) में धारा (ii) हटा दी जाएगी।

(vi) में उपअधिनियम 8 हटा दिया जाएगा तथा उपअधिनियम 9 को 8 की संख्या दी जाएगी।

(vii) उपअधिनियम 9 (पुनः संख्यांकित 8) के नीचे दी गई टिप्पणी हटा दी जाएगी।

(5) अधिनियम 11 में उप अधिनियम (2), (4) तथा (6) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(2) यदि वह जिस श्रेणी का अधिकारी है, उससे एक ऊंची श्रेणी में यात्रा करता है तो बोर्ड की सहायता यात्रा अथवा उसके किसी हिस्से जैसा भी मामला हो के लिए उचित श्रेणी के किराए तक सीमित होगी।

(4) कर्मचारी किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकता है लेकिन बोर्ड की सहायता अधिकृत श्रेणी तथा /अथवा निम्न श्रेणी के आवास के वास्तव उपयोग किए गए की सीमा तक किराए तक सीमित होगी।

(6) यदि सामान्य प्रथम श्रेणी की यात्रा कर सकने के अधिकारी कोई कर्मचारी अपनी अवकाश यात्रा रियायतों का लाभ उठाते समय डीलक्स वातानुकूलित रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते है तो कोई एतराज नहीं होगा। ऐसे मामले में, द्वितीय श्रेणी के किराए पर जो सरचार्ज लगता है उसकी लागत द्वितीय श्रेणी के किराए के आधार पर लागत की तरह ही, बोर्ड तथा कर्मचारी के मध्य विनियोजित की जाएगी।"

(ii) उपअधिनियम (8) की धारा (1) को हटा दिया जाएगा।

(iii) उपअधिनियम (10) का निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"10. किसी कर्मचारी के राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करने पर एतराज नहीं होगा, लेकिन प्रतिपूर्ति उस राशि तक ही सीमित होगी, जो कि प्रतिपूर्ति योग्य होगी। यदि कर्मचारी ने उस आवास की श्रेणी में यात्रा की होती, जिसका वह इस प्रकार की यात्राओं को किसी अन्य रेल गाड़ी में करने का अधिकारी है अथवा वास्तव में अदा किया गया किराया इनमें से जो भी कम हो।"

(6) अधिनियम (14) में उपअधिनियम 6 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(6) अग्रिम कार्यालय के प्रमुख अथवा किसी अन्य अधिकारी जिसे चेयरमैन नामित करे द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं। वे अधिकारी जो कि स्वयं अपने नियंत्रण अधिकारी हैं, अपने लिए ऐसे अग्रिम स्वीकार कर सकते हैं।

हस्ताक्षर/-
चेयरमैन

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 3rd September, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 753 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Leave Travel Concession) Amendment Regulations, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of New Manglore and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016|10|86-PE.I]
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

SCHEDULE

NMPT Employees (LTC) Amendment Regulations, 1987

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the New Mangalore Port Trust hereby makes the following regulations.—

1. These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Leave Travel Concession) Amendment Regulations, 1987.

2. In the New Mangalore Port Trust Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1980.—

(1) In regulation 2,

(i) Clause (h) shall be deleted and Clause (i), (k) and (l) shall be renumbered as (h), (i), (j) and (k) respectively.

(ii) Explanation below clause (j) [to be renumbered as (i)] shall be substituted as follows :—

"In the case of those employees who were already enjoying the benefit of leave travel concession before the commencement of these regulations, the block years of two and four as the case may be as applicable to them shall be continued for the purpose of regulating leave travel concession under sub-regulations (h) and (i)".

(2) In regulation 7 (i) Clauses (j) and (iv) shall be substituted as follows :—

"(i) Once in a block of two Calendar years commencing from 1980 every employee and his family shall be entitled to avail the concession and Board shall meet actual fares. In every such case the journeys should be to the home town and back and the claim should be for both outward and return journeys. The journey need not necessarily commence from or end at the Headquarters of an employee either in his own case or in the case of his family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journeys been performed between the headquarter and the home town of the employee".

(iv) Once in a block of four calendar years commencing from the year 1980 every employee and his family shall be entitled to avail of the concession for journeys to any place in India, subject to all other conditions laid down in the existing scheme and the reimbursement of fare shall be allowed for the entire distance both ways. The four years block commences from 1980. The concession for travelling to any place in India If not utilised during a block of four years, could be carried forward to the first year of the next block of four years."

(3) In regulation 8 explanation below sub-Regulation (2) shall be substituted as follows :—

"Explanation :—While availing of leave travel concession to visit any place in India, the employee and|or members of his family may visit the same place or different places of their choice."

(4) In regulation, 10, (i) Sub-Regulation shall be substituted as follows::—

"(1) The fare shall be fare shown in Railway Fare Table."

(ii) In sub-regulation (3) (a) the clause (ii) (a) and explanation below shall be substituted as follows :—

"(ii) (a) If the journey or a part thereof is made by road, Board's assistance shall be on the basis of the railway fare by the authorised Class or on the basis of the actual expenses whichever is less."

(b) Clause (b) shall be deleted.

(iii) Sub-regulation (5) and note thereunder shall be substituted as follows :—

"(5) There is no objection to an employee or his family members availing themselves of concessional circular trip tickets offered by the authorities in conjunction with the leave travel concessions. It shall also be permissible while utilising such a concessional ticket, to travel in any class, higher or lower than the entitled one.

Note : In such cases also the employee shall be entitled to reimbursement of the fare for the entitled lower Class actually used, by the shortest route.".

(iv) in sub-regulation (6) Clause (ii) shall be substituted as follows :—

"Where an employee takes a seat or seats in a Chartered bus, van or other vehicle operated by Tourism Development Corporations in the Public Sector, State Transport Corporations and Transport

Services run by other Government or local bodies, under the leave travel concession scheme to visit any place in India, the reimbursement may be either the actual higher charges on the chartered bus, or the amount reimburseable, had the journey to the declared place of visit been undertaken by the entitled class by rail by the shortest direct route whichever is less."

(v) In sub-regulation (7), clause (ii) shall be deleted.

In (vi) sub-regulation 8 shall be deleted and sub-regulation 9 shall be renumbered as 8.

(vi) Note below sub-regulation 9 (renumbered as 8) shall be deleted.

(5) In Regulation 11 (i) sub-regulation (2), (4) and (6) shall be substituted as follows :

"(2) If he travels in a higher class than that to which he is entitled, Board's assistasce shall be restricted to the fare of the appropriate class for the journey or portion of the journey as the case may be.

(4) An employee may travel in any class, but Board's assistance shall be limited to the fare of the accommodation of the entitled class and/or the lower class, to the extent actually used.

(6) There is no objection to employees normally entitled to travel by the I class, travelling also by II class in the deluxe air conditioned trains while availing themselves of the leave travel concession. The cost on account of the surcharge over the second class fare which is levied in such a case shall be appropriation between Board and the employee in same manner as the cost on the basis of II class fare.".

(ii) in sub-regulation (8) Clause (i) shall be deleted.

(iii) sub-regulation 10 shall be substituted as follows :—

"10. There is no objection to an employee performing journey by Rajadhani Express, but the reimbursement shall be limited to what should have been reimburseable, had he travelled by the class of accommodation to which he is entitled for such journeys by any other train or the actual far paid, whichever is less.".

(6) In Regulation 14, sub-regulation 6 shall be substituted as follows :—

"6. Advances may be sanctioned by the Head of Office or any other higher authority which the Chairman may nominate. Officers who are their own Controlling Officers may sanction such advances for themselves.".

Sd/-

CHAIRMAN.

S. S. NAGAR, Section Officer
Ministry of Surface Transport

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987